न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी खानपुर जिला झालावाड़
(पीठासीन अधिकारी – डॉ0 भास्कर बिश्नोई आर.ए.एस.)

मिसल नं0 699/दावा/2017
दायरा दि0 26/04/2017

उनवान

बजरंग पुत्र गोप्या जाति कुम्हार निवासी खेरखेड़ा तह0 खानपुर

--- वादी

बनाम्

1. लखन नाबा0 पुत्र महावीर जर्ये संरक्षक वली माता राजेशकुमारी पत्नि महावीर जाति कुम्हार निवासी खेरखेडा तह0 खानपुर तह0 खानपुर
2. राजेशकुमारी पत्नि महावीर जाति कुम्हार निवासी खेरखेडा तह0 खानपुर
3. गुलाबबाई पुत्री किशोर जाति कुम्हार निवासी खेरखेडा तह0 खानपुर
4. लीलाबाई पुत्री किशोर जाति कुम्हार निवासी खेरखेड़ा तह0 खानपुर
5. पुष्पाबाई पत्नि किशोर जाति कुम्हार निवासी खेरखेडा तह0 खानपुर
6. भूमि अवाप्ति अधिकारी परवन, सिंचाई परियोजना जल संसाधन विभाग खण्ड झालावाड
7. अधिशाषी अभियन्ता परवन, सिंचाई परियोजना जल संसाधन विभाग खण्ड झालावाड
8. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार तहसील खानपुर

– प्रतिवादीगण

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 92ए, 188, 209 आर.टी.एक्ट 1955

उपस्थित :– श्री ओमप्रकाश धनौलिया अधिवक्ता – वादी
श्री अनिल मेहता अधिवक्ता – प्रतिवादी

निर्णय

दिनांक 25/07/2018

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं। वादी ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 92ए, 188, 209 आर.टी.एक्ट 1955 के अर्न्तगत इस आशय का प्रस्तुत किया है कि ग्राम खेरखेडा की जमाबंदी सं0 2005–08 की आराजी ख0नं0 1408/387–388 की 1.09 बीघा, ख0नं0 1364/57–345 की 5.03 बीघा, ख0नं0 1168/130–131 की 2.16 बीघा, ख0नं0 1396/196–192 की 3.19 बीघा कुल 4 किता रकबा 13.07 बीघा गोप्या, रामकिशन बेटे गणेश जाति कुम्हार निवासी खेरखेड़ा के खाते व कब्जे काश्त की थी। वादी ग्राम खेरखेडा का स्थायी निवासी है, वादी के पिता दो भाई थे, जिनके नाम गोप्या व रामकिशन थे, इनमें से दोनों की मृत्यु हो चुकी है तथा रामकिशन के कोई औलाद नहीं थी। मृतक किशोर वादी का सगा भाई था जिसको वादी के पिता ने अपने भाई रामकिशन के कोई औलाद नहीं होने के कारण लगभग 65 वर्ष पूर्व रामकिशन को गोद दे दिया और इस प्रकार 65 वर्ष पूर्व से किशोर अपने गोद नसीन पिता के यहां ही रह रहा था। मृतक किशोर के श्री रामकिशन के गोद जाने के पश्चात किशोर, रामकिशन की समस्त चल अचल सम्पत्ति का मालिक बना तथा रामकिशन के खाते व कब्जे काश्त की जमीन का इंतकाल नं0 539 किशोर पुत्र रामकिशन के नाम तस्दीक हुआ और रामकिशन की खातेदारी की जमीन किशोर पुत्र रामकिशन के नाम दर्ज कीर गई, जबकि रामकिशन के कोई लडका नहीं था, किशोर उसका दत्तक पुत्र था। सेटलमेंट के बाद पुराने ख0नं0 1408/387–388 के नये नं0 347, पुराने ख0नं0 1396/196–192 के नये ख0नं0 496, पुराने ख0नं0 1168/130–131 के नये ख0नं0 230, व पुराने ख0नं0 1364/57– 345 के नये नं0 495 बने हैं। किशोर के रामकिशन के गोद जाने के पश्चात आराजी ख0नं0 230 की 2.19 बीघा, ख0नं 347 की 2.12 बीघा, ख0नं0 495 की 1.04 बीघा, ख0नं0 496 की

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
खानपुर (झालावाड़)

Scanned by CamScanner

4.03 बीघा ग्राम खेरखेड़ा में रामकिशन के खातेदारी की जमीन किशोर पुत्र रामकिशन के नाम दर्ज की गई, जिसमें किशोर का 1/2 हिस्सा व गोप्पा का भी 1/2 हिस्सा था।

किशोर के गोद जाने के पश्चात गोप्पा की मृत्यु हुई लेकिन गोप्पा की मृत्यु के पश्चात उसके खाते की आराजी में गोप्पा के पुत्र बजरंग के साथ साथ किशोर दत्तक पुत्र रामकिशन का नाम भी जुड गया जो कानून के विरूद्ध था जिसका इंतकाल नं0 27 तस्दीक किया, किशोर अपने दत्तक पिता रामकिशन की सम्पत्ति का मालिक बना और इसी के साथ साथ किशोर को गोप्पा की मृत्यु के पश्चात उसकी सम्पत्ति का मालिक भी बना दिया जो अवैद्ध है। इसके पश्चात आराजी के खातेदार ने आराजी ख0नं0 496 रकबा 4.03 बीघा का बैचान जगन्नाथ पुत्र उदालाल व रामरतन पुत्र रामनाथ के पक्ष में कर दिया जिसका इंतकाल नं0 52 तस्दीक किया और खातेदारी में जगन्नाथ व रामरतन का नाम दर्ज किया। बैचान के पश्चात बैचान की गई आराजी का खाता अलग कर दिया। इसके पश्चात दूसरा बैचान आ0ख0नं0 495 रकबा 1.04 बीघा रामरतन पुत्र रामनाथ के पक्ष में कर दिया जिसका इंतकाल रामरतन के पक्ष में तस्दीक किया और खातेदारी में रामरतन का नाम दर्ज किया गया। उक्त बैचान के पश्चात शेष बची आ0ख0नं0 230 रकबा 0.03 बीघा, ख0नं0 347 रकबा 2.12 बीघा कुल 2 किता रकबा 2.15 बीघा किशोर पुत्र रामकिशन व बजरंग पुत्र गोप्पा के खाते व कब्जे काश्त की है।

किशोर जब रामकिशन की मृत्यु के पश्चात उसकी आराजी का खातेदार बन गया तो किशोर का केवल रामकिशन के खाते की 1/2 हिस्से की आराजी पर ही कब्जा था, जहां तक वादी के पिता गोप्पा के खातेदारी की आराजी का सवाल है, वादी का ही कब्जा है, गोप्पा के 1/2 हिस्से की आराजी में किशोर का कोई हिस्सा, हित व अधिकारी नहीं है। खातेदार किशोर की मृत्यु हो गयी है, जिसके वैद्य उत्तराधिकारी पुत्र महावीर, पुत्रियां लीलाबाई, गुलाबबाई व पत्नि पुष्पाबाई है। महावीर की मृत्यु हो चुकी है जिसके वैद्य उत्तराधिकारी लखन, राजेशकुमारी है, जो वाद में प्रति0 नं0 1 लगा0 5 हैं। उक्त आराजी को राज्य सरकार अवाप्त कर रही है, ऐसे में वादीगण अपने हिस्से की आराजी का मुआवजा प्राप्त करने से वंचित रह जायेंगे। ऐसे में प्रति0नं0 6, 7 को जर्ये स्थाई निषेधाज्ञा मुआवजा राशि का भुगतान वाद के निर्णय रोका जावे। अतः वाद पेश कर निवेदन है कि वाद, वादी के पक्ष में व प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस प्रकार डिक्री फरमाया जावे कि ग्राम खेरखेडा की ख0नं0 230 की 0.03 बीघा, ख0नं0 347 की 2.12 बीघा कुल 2 किता रकबा 2.15 बीघा में वादी को 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित किया जावे तथा प्रति0नं0 1 लगा0 5 को भी 1/2 हिस्से का खातेदार टीनेंट घोषित रखा जावे। इस प्रकार सरकारी रेकार्ड को दुरूस्त किया जावे।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। दिनांक 04.04.2018 को पक्षकारान ने जर्ये अधिवक्ता उपस्थित होकर राजीनामा पेश किया, जिसे पक्षकारान द्वारा सही एवं सत्य होना स्वीकार करने एवं राजीनामा विधिनुसार होने से तस्दीक किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। तत्पश्चात अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस सुनी गयी।

विद्धान अधिवक्ता वादी ने अपनी बहस में वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये प्रकट किया कि वादग्रस्त आराजी में हमारा 1/2 हिस्सा बनता है। हम पक्षकारान के मध्य लोक अदालत की भावना से राजीनामा हो गया है, जो तस्दीक होकर पत्रावली में संलग्न है। उक्त राजीनामें के अनुसार वाद को डिक्री किया जावे।

विद्धान अधिवक्ता प्रतिवादी ने अपनी बहस में प्रकट किया कि हम पक्षकारान के मध्य लोक अदालत की भावना से राजीनामा हो गया है, जो तस्दीक होकर पत्रावली में संलग्न है। उक्त राजीनामें के अनुसार वाद को डिक्री किया जावे।

हमने पत्रावली का ध्यान पूर्वक अध्ययन किया एवं विद्धान अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। वादी ने ग्राम खेरखेडा की ख0नं0 230 की 0.03 बीघा, ख0नं0 347 की 2.12 बीघा कुल 2 किता रकबा 2.15 बीघा में वादी को 1/2 हिस्से का एवं प्रति0नं0 1 लगा0 5 को भी

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कानपुर (आलवाड़)

Scanned by CamScanner

1/2 हिस्से का खातेदार टीनेंट घोषित किये जाने का यह वाद पेश किया है। पक्षकारान ने दिनांक 04/04/2018 को न्यायालय में उपस्थित होकर इस प्रकार राजीनामा पेश किया है कि " *उक्त उनवान के प्रकरण में पक्षकारान ने लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर आपस में राजीनामा हो गया है। राजीनामा निम्न प्रकार है, आराजी खसरा नम्बर 230 की 0.03 बीघा, खसरा नम्बर 347 की 2.12 बीघा कुल 2 किता की रकबा 2.15 बीघा आराजी वाके ग्राम खेरखेड़ा में वादी बजरंगलाल को 1/2 हिस्से का खातेदार दर्ज जावे व प्रतिवादीगण 1 लगायत 5 को भी 1/2 हिस्सा का खातेदार दर्ज किया जावे। यह राजीनामा हमनें राजीखुशी से बिना दाब दबाव के किया है। राजीनामा अनुसार वाद का निर्णय किया जावे। राजीनामा अनुसार डिक्री पारित की जावे जो सही है।* " चूँकि हस्तगत प्रकरण में पक्षकारान के मध्य लोक अदालत की भावना से राजीनामा हो चुका है, जो विधिनुसार होने से तस्दीक किया जाकर शामिल पत्रावली है। ऐसे में हम इस वाद का निर्णय पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामा के अनुसार किया जाना उचित समझते हैं।

अतः वाद, वादी राजीनामा के अनुसार डिक्री किया जाता है तथा ग्राम खेरखेड़ा की खसरा नम्बर 230 की 0.03 बीघा, खसरा नम्बर 347 की 2.12 बीघा कुल 2 किता की रकबा 2.15 बीघा आराजी में वादी को हिस्सा 1/2 एवं प्रतिवादीगण 1 लगा0 5 को बांट बराबर से हिस्सा 1/2 का खातेदार टीनेंट घोषित किया जाता है। उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद हो। पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामा निर्णय का भाग रहेगा। खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करेंगे। इस आशय का डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली निर्णय में शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा वाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
खानपुर (झालावाड़)

निर्णय आज दिनांक 25/07/2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
खानपुर (झालावाड़)

Scanned by CamScanner